



2026:AHC-LKO:19353

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-ए संख्या - 5580 वर्ष 2005

राजेंद्र नाथ

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, माध्यमिक

शिक्षा एवं 4 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: के०डी० नाग

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मनीष शुक्ला

न्यायालय संख्या-17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. श्री के०डी० नाग, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री संदीप श्रीवास्तव, राज्य उ०प्र० के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, जो विरोधी पक्ष संख्या 1 से 4 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तथा श्री विनीत कुमार चौरसिया, जिन्होंने विरोधी पक्ष संख्या 5 की ओर से अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया, को सुना ।

2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने विरोधी पक्षों को यह आदेश देने हेतु परमादेश की रिट जारी करने की प्रार्थना की है कि वे याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के लिए वेतन का भुगतान करें, क्योंकि याचिकाकर्ता दिनांक 14.02.2005 से शिव प्रसाद पाण्डेय इंटर कॉलेज, पदरी कलां, उन्नाव में उक्त पद पर कार्यरत है। रिट याचिका में अन्य बातों के साथ यह अभिकथन किया गया है कि शिव प्रसाद पाण्डेय इंटर कॉलेज, पदरी कलां, उन्नाव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चार रिक्त पद उत्पन्न हुए। रिट याचिका में अन्य बातों के साथ यह अभिकथन किया गया है कि शिव प्रसाद पाण्डेय इंटर कॉलेज, पदरी कलां, उन्नाव में चतुर्थ श्रेणी के 12 स्वीकृत पद हैं। दिसंबर, 2004 के अंत तक चतुर्थ श्रेणी के चार रिक्त पद उत्पन्न हो गए थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य (विरोधी पक्ष संख्या 5) ने उपर्युक्त चार पदों को भरने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करने के लिए दिनांक 25.01.2005 का एक पत्र प्रेषित किया। दिनांक 29.01.2005 को जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र प्रेषित कर दो पदों पर नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान की, जो अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने न तो अन्य दो पदों पर नियुक्ति करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया और न ही नियुक्ति करने के लिए प्रधानाचार्य के अनुरोध को अस्वीकार किया। दिनांक 01.02.2005 को एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र 'आज' में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात चतुर्थ श्रेणी के चार रिक्त पदों पर चयन किए गए तथा उन्हें दिनांक 14.02.2005 को नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए। दिनांक 14.02.2005 को विद्यालय ने नियुक्ति तथा उनके कार्यभार ग्रहण करने की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की। दिनांक 24.05.2005 को जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखकर यह उल्लेख किया कि उन्होंने केवल अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित दो पदों पर नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान की थी तथा याचिकाकर्ता से सभी 4 पदों पर की गई नियुक्ति का औचित्य स्पष्ट करने के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लिए कहा। तत्पश्चात, दिनांक 24.05.2005 को जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव ने संयुक्त निदेशक, शिक्षा को एक पत्र लिखकर उपर्युक्त तथ्यों को उनके संज्ञान में लाया।

3. दिनांक 04.07.2005 को विज्ञापन के अनुपालन में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किए गए सभी चार व्यक्तियों ने वेतन के भुगतान के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को भी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

4. दिनांक 29.08.2025 को इस न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिका में एक अंतरिम आदेश पारित किया था, विपक्षी पक्षों को निर्देशित करते हुये कि वे याचिकाकर्ता को दिनांक 01.08.2005 से वेतन का भुगतान करें तथा प्रत्येक माह उक्त वेतन का भुगतान जारी रखें। यद्यपि रिट याचिका की एक प्रति दिनांक 25.08.2005 को विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय में तामील की गई थी तथा उपर्युक्त अंतरिम आदेश इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2025 को पारित किया गया था, तथापि आज दिनांक तक रिट याचिका में किए गए अभिकथनों की सत्यता का खंडन करते हुए कोई प्रति-शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। विरोधी पक्ष संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के दावे का समर्थन किया है और उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता निरंतर कार्य कर रहा है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा दिए गए निर्णय **विनोद कुमार एवं अन्य बनाम डीआईओएस, मुजफ्फरनगर एवं अन्य, 1999 (2)** यूपीएलबीईसी 1603 पर भरोसा जताया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिक्तियों के अनुमोदन के उपरान्त विद्यालय के प्रधानाचार्य ने नियुक्ति करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध किया था। जिला विद्यालय निरीक्षक ने दो आरक्षित पदों पर नियुक्ति करने के लिए अनुमति प्रदान की, किन्तु उन्होंने चारों रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के लिए अनुमति देने से इंकार नहीं किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस बात का कोई खंडन नहीं है कि संबंधित विद्यालय में चार रिक्तियां विद्यमान थीं, जब विद्यालय ने नियुक्तियां करने के लिए अनुमति मांगी थी तथा चयन और नियुक्ति करने के लिए विज्ञापन जारी किया था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उपयुक्त निर्णय लेने में जिला विद्यालय निरीक्षक की मात्र निष्क्रियता, स्वीकृत रिक्त पद पर की गई नियुक्तियों को अवैध नहीं बना देगी।

7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने रिट याचिका का विरोध किया, जैसा कि उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि नियुक्तियां जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्वीकृति प्रदान किए बिना की गई थीं, अतः वे अवैध हैं।

8. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों से यह प्रतीत होता है कि यह निर्विवाद है कि दिसंबर, 2004 के अंत में विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के चार रिक्त पद विद्यमान थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने चतुर्थ श्रेणी के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त करने का अनुरोध किया था। जिला विद्यालय निरीक्षक ने दो आरक्षित पदों पर नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान की, किन्तु उन्होंने विरोधी पक्ष संख्या 5 द्वारा दो अनारक्षित पदों पर नियुक्ति करने की अनुमति हेतु किए गए अनुरोध पर मौन बनाए रखा। किसी भी स्थिति में जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के दो अनारक्षित पदों पर नियुक्ति करने की अनुमति देने से इंकार नहीं किया है। यद्यपि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.08.2005 के अंतरिम आदेश के अधीन विद्यालय में कार्य कर रहा है, तथापि विरोधी पक्षों ने न तो अंतरिम आदेश के निरस्तीकरण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया और न ही रिट याचिका में किए गए अभिकथनों की सत्यता का खंडन करते हुए कोई प्रति-शपथपत्र प्रस्तुत किया।

9. इन परिस्थितियों में, जब विरोधी पक्षों ने कोई प्रति-शपथपत्र प्रस्तुत न करके याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित प्रकरण को निहित रूप से स्वीकार कर लिया है, तब रिट याचिका में किए गए अभिकथन निहित रूप से स्वीकृत माने जाते हैं।

10. उपर्युक्त परिस्थितियों में, जब विरोधी पक्षों ने रिट याचिका में किए गए अभिकथनों की सत्यता का खंडन नहीं किया है तथा उन्हें निहित रूप से स्वीकार कर लिया है और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता दिनांक 29.08.2005 के अंतरिम आदेश के अधीन निरंतर कार्य कर रहा है, मैं इस मत का हूँ कि रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

11. तदनुसार, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है। विरोधी पक्षों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को उस वर्ग-चतुर्थ पद पर, जिस पर वह विरोधी पक्ष संख्या 5-विद्यालय में कार्यरत है वेतन का भुगतान जारी रखें।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

17 मार्च, 2026

प्रदीप/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।